शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्याः 2029/नौ–5–16–38सा/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ ; दिनांक 4 जुलाई, 2016

विषय : प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में हरित क्षेत्र में वृद्धि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के निर्माण एवं रख रखाव हेतु 636 नगरीय स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) अधिसूचित हैं। नगर में हरित क्षेत्र यथा पार्कों, खेल मैदानों, मनोरंजन स्थलों, वृक्षारोपण, खुले मैदानों आदि का विकास एवं रख–रखाव कार्य नगरीय स्थानीय निकायों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों, यथा– उद्यान विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पर्यटन विभाग, वनस्पतिक शोध संसस्थानों आदि के साथ–साथ उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों तथा अनेक पैरास्टेटल अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। **उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959** की धारा 114 (33–क) एवं 114 (41) तथा **उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916** की धारा 07 (य–ख) एवं 07 (फ) के अधीन नगर क्षेत्रों के लिए नगरीय वानिकी और परिस्थति के पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण संरक्षण तथा नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेल मैदानों की व्यवस्था करना नगरीय स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 137–क तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 97–ख के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकाय अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी का अनुबन्ध करने में सक्षम है। नगरीय क्षेत्र में 15 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित करने और नियमित रख रखाव करने तथा प्रति वर्ष कम से कम एक बाल उद्यान विकसित करना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कियान्वित "अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन" (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)- अमृत के अन्तर्गत नगरीय सुधारों (Urban Reform) एवं परियोजना कार्यों में भी सम्मिलित है, जिन्हें मिशन अवधि (पाँच वर्ष) में पूरा किया जाना अपेक्षित है।

2– अतः नगरीय क्षेत्र में 15 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित करने के कार्य को नियत समय में पूरा करने के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नागर स्थानीय निकाय क्षेत्र में जो राजकीय विभाग, अभिकरण आदि कार्यरत् हैं द्वारा पृथक्–पृथक् कर नगर क्षेत्र में हरित क्षेत्र में अभिवृद्धि कर रहे है, उन सभी विभागों के कार्यों को समेकित किया जाय और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर विभागों की हरित क्षेत्र वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित कर सभी विभागों द्वारा तत्काल कार्य–योजना बनाकर हरित क्षेत्र विकसित कर उनका नियमित रख रखाव किया जाय। इन बैठकों में नगरीय स्थानीय निकाय संयोजक की भूमिका में रहेंगे। नगर निकाय उक्त कार्य उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 अधिनियमों की व्यवस्थानुसार पी0पी0पी0 मॉडल पर भी कर सकते हैं और रेसीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर0डब्ल्यू0ए0) एवं अन्य प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

3– नगर क्षेत्र में हरित क्षेत्र में वृद्धि की कार्यवाही में उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम 1975 तथा उ0प्र0 पार्क, खेल मैदान और खुली जगह

(विनियक और नियंत्रण) नियमावली 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जाय। पार्कों, उद्यानों, खेल मैदानों मनोरजन स्थलों आदि का नामकरण किए जांय तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बाल उद्यान अवश्य विकसित किया जाय और उनका नियमित रख रखाव सुनिश्चित किया जाय।

4– नगरीय क्षेत्रों में "अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन"(**AMRUT**) मिशन की अवधि (पॉच वर्ष) में हरित क्षेत्र वृद्धि करने सम्बन्धी कार्यवाही को तीव्र गति प्रदान करने व अपेक्षित मार्गदर्शन हेतु **प्रत्येक माह** में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा, **प्रति दो माह** में सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा तथा **त्रैमासिक** रूप में मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक नगर निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा समीक्षा की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना नियमित रूप से शासन तथा मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक नगर निकाय, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जाएगी। मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक नगर निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा संकलित सूचना अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित शासन को समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

भवदीय,

04/7/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2029(1)/नौ–5–16 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7– गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी